सं0सं0–6/एन0–02–02/2018– 212 (6)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

समादेश याचिका संख्या–17528/2017 यमुना इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा समादेश याचिका संख्या–17560/2017 अपोलो नर्सिंग टेनिंग स्कूल बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–20.12.2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अन्तर्गत बिहार नर्सिंग नियमावली की व्याख्या करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निदेश दिया गया है कि नर्सिंग प्रशिक्षण विद्यालयों से नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संबंध में नर्सिंग नियमावली 1997 की नियम–4 के उपनियम–2 में वर्णित प्रावधानानुसार निदेशक प्रमुख (नर्सिंग) के स्तर से अनुमति दी जानी चाहिए जिसके लिए संस्थान के भौतिक निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। अनुमति प्राप्ति के पश्चात संस्थान को मान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। मान्यता हेतु आवेदन प्राप्त होने पर विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्थान का निरीक्षण कराकर छः माह के अन्दर मान्यता के संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिए।

अतः आदेश दिया जाता है कि नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित समस्त संचिकाओं का अवलोकन, विवेचन एवं उपस्थापन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त न्यायादेश के आलोक में किया जाय।

प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

16/03/18

(डॉ0 चन्द्रमोहन झा)
निदेशक प्रमुख,
(परिवार कल्याण, मातृशिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग),
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।

ज्ञापांक : 212 (6) पटना दिनांक 16/03/2018

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी (श्री प्रसाद), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–06, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त आदेश की प्रति आम सूचनार्थ विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कर दी जाय।

16/03/18

निदेशक प्रमुख,
(परिवार कल्याण, मातृशिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग),
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।